

14

संख्या-1031/22-4-11-48(6)/13

प्रेषक,

आर०के० द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ,
उ०प्र०, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

लखनऊ:दिनांक-03 सितम्बर, 2013

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में टाइप-2 के 32 नग आवासों के निर्माण के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-21622/नम-2, दिनांक-12.7.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-333/22-4-13-48(6)/13, दिनांक-31.3.2013 द्वारा केन्द्रीय कारागार, बरेली में टाइप-2 के 32 आवासों के निर्माण हेतु रू०-2,39,68,000/- (रूपया दो करोड़ उनतालिस लाख अड़सठ हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं रू०-95,87,000/- (रूपये पन्चानवे लाख सत्तासी हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। आपके उक्त पत्र दिनांक-12.7.2013 में किये गये प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुये श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2013-14 में उक्त निर्माण कार्य हेतु अवशेष द्वितीय किस्त की धनराशि रू०-1,43,81,000/- (रूपये एक करोड़ तैंतालिस लाख इक्कासी हजार मात्र) की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास-03-कारागार स्टाफ के लिये आवासों का निर्माण-24-गृह निर्माण कार्य" के नामे डाले जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- उक्त शासनादेश दिनांक-31.3.2013 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक-28.3.13 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

आर०के० द्विवेदी

9.13

निर्मल

5.8.13

4096

10/9/13

भवदीय
आर०के० द्विवेदी
(आर०के० द्विवेदी)
अनु सचिव।